न्यायालय नायाब तहसीलदार लवाण जिला दौसा(राज.)

सरकार बनाम हरसहाय पुत्र मूलचंद जाति मीना नि.खंडेवल तह.लवाण

मिसल न. 06/2023

निर्णय दिनांक -27.07.2023

आज पत्रावलि पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । पटवारी हल्का खानवास ने एक रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत की की अप्रार्थी हरसहाय पुत्र मूलचंद जाति मीना नि.खंडेवल तह.लवाण ने ग्राम खंडेवल के आरजी खसरा न. 318 रकबा 0.11 है. किस्म चारागाह भूमि पर संवत 2080 मौसम ~~रबी~~/खरीफ मे पुख्ता मकान निर्माण द्वारा अतिक्रमण किया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी पेशी पर उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ हुआ/रहा प्रार्थी ने अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । जिससे अतिचार सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अप्रार्थी का प्रशनगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः प्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमणशुदा रकबे पर बने पुख्ता मकान निर्माण से भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है तथा उस पर लगान 3 रु. का 50 गुना 150 रु. का आरोपित शास्ति से दंडित किया जाता है । पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसुली एवं बेदखली हेतु पटवारी हल्का/भू.अ,निरीक्षण को लिखा जावे । पत्रावलि फैसले शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2023.08.02 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested